सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 459 राँची, सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2015

संख्या एल० जी०-30/2015-120--लेज०**,** झारखण्ड विधान मण्डल का निम्नलिखित अधिनियम**,** जिस पर राज्यपाल दिनांक- 12/10/2015 को अनुमति दे चुके हैं**,** इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान, (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम, 14, 2015)

भारत के गणतन्त्र के 66वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हों:-

1. संक्षिप्त नाम**,** विस्तार और लागू होना:-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम**,** 2015 कहा जायेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

(iii) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2॰ <u>झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 8, 1953 की धारा- 14 का संशोधन</u>

उक्त अधिनियम 1953 की धारा-14 के परंतुक में निम्नलिखित शब्द अंतर्स्थापित किए जायेंगे:-

" यदि राज्य सरकार किये जाने वाले कार्य की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों से संतुष्ट है कि किसी महिला कर्मचारी की कार्यावधि का विनियमन युक्तिसंगत नहीं है, तो वह किसी प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठान कोटि के लिए लिखित आदेश से उपर्युक्त प्रावधानों को शिथिल या रूपांतरित कर सकेगी।

बशर्ते कि किसी आदेश को निर्गत करने के पूर्व महिला कर्मचारी की सुरक्षा एवं कल्याण का समुचित ध्यान रखा जायेगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

संख्या एल॰ जी॰-30/2015-121--लेज॰, झारखण्ड विधान मण्डल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनाँक-12/10/2015 को अनुमत झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अँग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

<u>THE JHARKHAND SHOPS AND ESTABLISHMENT (AMENDMENT) ACT, 2015</u>

(JHARKHAND Act, 14, 2015).

Be it enacted by the Jharkhand State Legislature in the Sixty-Sixth year of the Republic of India, as follows :-

(1) **<u>Short title extent and commencement</u>**:-

(i) This Act may be called the Jharkhand Shops and Establishment Act (Jharkhand Amendment) Act, 2015.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force on and from the date of its Publication in the official Gazette.

(2) **<u>Amendment of section 14 of Jharkhand shops and Establishment Act, 8, 1953:-</u>**

"Provided that if the state Government is satisfied owing to the nature of work carried on or other circumstances, that it is unreasonable to regulate the periods of work of any women employee, it may by written order relax or modify the above provisions for particular establishment/category of establishments.

Provided further that before passing any order safety and welfare issues of women employee shall be kept in mind"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी**,**

विधि (विधान) विभाग**,** झारखण्ड**,** राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 459 - 50